

आर.सी.एम.एस. नम्बर 2021/128

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव

(आर.ए.एस.)

दावा बाबत धोषणा व रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :- 67/2021 (बेगराज वगैरह बनाम कमलकिशोर वगैरह)


निर्णय दिनांक :- 18.07.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 18.07.2023 द्वारा पारित निर्णयानुसार पाण्डासी के ख0न0 1 रकबा 3.58 है0 में वादीगण संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व लच्छुराम के नाम के आगे पिता का नाम मालाराम की जगह अर्जुन दुरुस्त किया जाकर वादीगण संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को प्रत्येक को 1/8-1/8 हिस्सा तथा लच्छुराम के वारिसान को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित व ग्राम मन्दरूपपुरा स्थित भूमि ख0न0 123 रकबा 5.27 है0 भूमि में वादीगण संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को प्रत्येक को 1/8-1/8 हिस्सा तथा लच्छुराम के वारिसान को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 18.07.2023 को जारी की गई।



  
18/7/23  
(हवाई सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी,  
मलसीसर